

पाँचवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्थान) के सदस्य/शेयरधारक की पाँचवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 07 जुलाई, 2026 को सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित कार्य हेतु आयोजित की जाएगी:

1. प्राप्त करने के लिए, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को संस्थान के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों के साथ-साथ स्वीकार करें।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

संकल्पित किया गया कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्थान) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को संस्था के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों के साथ अपनाया और अपनाया जाता है।

2. संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक का जारी रहना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

संकल्पित किया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (अधिनियम) की धारा 26 (1) के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए 27 अप्रैल, 2021 के आरबीआई दिशानिर्देश, 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केंद्रीय और शाखा लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक' पर 1 मार्च, 2023 का आरबीआई परिपत्र, और अन्य लागू कानूनों (जिसमें कोई सांविधिक संशोधन(एं), संशोधन(एं) या उनके पुनः अधिनियम(न) शामिल हैं जो फिलहाल लागू हैं), शेयरधारक की पूर्व मंजूरी 18 जून, 2024 को और लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर, शेयरधारक की मंजूरी दी जाती है और इसके द्वारा जारी की जाती है। सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या। 101961डब्ल्यू/डब्ल्यू-100036) के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय वित्तपोषण अवसंरचना और विकास बैंक (संस्थान) के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति से संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-

27 के लिए आरबीआई द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक (एसए) के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य लेखा परीक्षा फर्मों की सी एंड एजी पैनल जारी होने तक, संस्थान के निदेशक मंडल या लेखा परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले लागू वेतन, जेब से खर्च, परिव्यय और करों के अतिरिक्त पारिश्रमिक के साथ।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, संस्थान के निदेशक मंडल (इस संबंध में निदेशक मंडल या लेखा परीक्षा समिति द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति सहित) को संस्थान की ओर से ऐसे सभी कार्य, कार्य, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो वह अपने पूर्ण विवेक से, ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय समझता है और संस्थान की ओर से उन सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों को निपटाने की शक्ति रखता है जो संकल्प के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षक की भूमिका, जिम्मेदारियों/कार्यक्षेत्र का निर्धारण और अन्य अनुमत कार्य शामिल हैं, यदि कोई हो, प्रासंगिक, प्रचलित वैधानिक/विनियामक प्रावधानों के अनुरूप और इस संबंध में किसी भी अनुबंध या दस्तावेजों सहित नियुक्ति की शर्तों पर बातचीत करना, अंतिम रूप देना, संशोधन करना, हस्ताक्षर करना, वितरित करना, निष्पादित करना, जिसके लिए संस्थान के शेयरधारक की किसी भी और सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

3. मेसर्स एल्विन जे एंड कंपनी, कंपनी सचिवों की पांच साल की अवधि (वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक) के लिए संस्थान के सचिव लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

संकल्पित किया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के साथ पठित विनियम 62एम के अनुसार, सेबी द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्र (जिसमें समय-समय पर लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन शामिल हैं) और अन्य लागू कानून, यदि कोई हो, शेयरधारक की स्वीकृति दी गई है और इसके द्वारा संस्थान के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स एल्विन जे एंड कंपनी, कंपनी सचिव (फर्म पंजीकरण संख्या: पी2010एमएच021500) की नियुक्ति के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लगातार पांच वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए दी गई है।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, संस्थान के निदेशक मंडल (इस संबंध में निदेशक मंडल या लेखा परीक्षा समिति द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति सहित) को संस्थान की ओर से ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और वह करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो वह अपने पूर्ण विवेक से, ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय समझता है।

4. सुश्री शालीन पंडित (डीआईएन: 07780142) को सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

संकल्पित किया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (अधिनियम) की धारा 6(1)(डी) के प्रावधानों के अनुसार, उसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 62डी(3) (जिसमें फिलहाल लागू होने के लिए कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है) और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) के पत्र संख्या ईएफ, के अनुसार है। सं. 6/2(x)/ 2022-बीओ.आई दिनांक 13 मई, 2026, शेयरधारक की स्वीकृति और इसके द्वारा 13 मई, 2026 से और भारत सरकार के अगले आदेश तक के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के निदेशक मंडल में नामित निदेशक के रूप में सुश्री शालिनी पंडित (डीआईएन: 07780142) की नियुक्ति के लिए प्रदान की जाती है।

बोर्ड के आदेशानुसार

**राजकिरण राय जी.
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07427647**

दिनांक: 09 जून, 2026

स्थान: मुंबई

कार्यालय का पता:

द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल - 1503

जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

दूरभाष: +91-22-4104 2000

टिप्पणियाँ:

1. नोटिस में निर्धारित मदों के संबंध में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
2. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, और समय-समय पर एजीएम बुलाने के संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों द्वारा निर्देशित, संस्थान की उक्त एजीएम को एक सामान्य स्थान पर सदस्य/प्रतिभागियों की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकताओं के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। तदनुसार, आगामी एजीएम के लिए सदस्य द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसलिए इस नोटिस के साथ कोई प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची नहीं संलग्न है।
3. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना सदस्य/प्रतिभागियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है।

इसके अलावा, एसईबीआई एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति उन सभी ऋण प्रतिभूतियों के धारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के साथ रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं और जो संस्थान को उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, अनुरोध पर वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्रदान की जाएगी।

उपर्युक्त वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम नोटिस संस्थान की वेबसाइट <https://nabfid.org/investors> पर और बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध होंगे।

4. सदस्य/शेयरधारक से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को एजीएम में भाग लेने और वोट देने के लिए अधिकृत करने के लिए कंपनी सचिव को swati.lahiri@nabfid.org पर ईमेल के माध्यम से संबन्धित प्राधिकार भेजें।
5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को गणनीयता के उद्देश्य से गिना जाएगा।
6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्य/प्रतिभागियों के लिए निर्देश नीचे दिए गए हैं:
 - i. सदस्य/प्रतिभागीगण बैठक की तारीख और समय के साथ माइक्रोसॉफ्ट टीमों के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए एक ई-मेल प्राप्त करेंगे।
 - ii. ई-मेल में माइक्रोसॉफ्ट टीम की बैठक में शामिल होने के लिए एक लिंक होगा। सदस्य/प्रतिभागी उक्त लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सदस्य/प्रतिभागी अपने कंप्यूटर/लैपटॉप/टैबलेट/मोबाइल से वीसी के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि अपने सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लिकेशन डाउनलोड करें और इसे तैयार रखें।

- यदि आपके पास आपके सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन है, तो यह आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन को बैठक से कनेक्ट करने के लिए निर्देशित करेगा। इसके पश्चात, बैठक में शामिल होने के लिए "अब ज्वाइन करें" टैब पर क्लिक करें।
 - यदि आप अपने सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसके बजाय वेब पेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कृपया वेब पर "अब जुड़ें" पर क्लिक करें। इसके बाद, एक नया वेब पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना नाम लिखना होगा और "अभी शामिल हों" टैब पर क्लिक करना होगा और उसमें प्रतीक्षा करनी होगी, आयोजक स्वीकार करेगा और आपको बैठक में शामिल होने की अनुमति देगा।
- iii. सदस्यों / प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 15 मिनट पूर्व बैठक में शामिल हों और यह सुनिश्चित करें कि कोई लॉजिस्टिक समस्या न हो।
- iv. सदस्य/प्रतिभागी जिन्हें एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे कंपनी सचिव को swati.lahiri@nabfid.org पर लिख सकते हैं।

व्याख्यात्मक विवरण

मं. सं. 2 के लिए

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('एक्ट') की धारा 26(1) के प्रावधानों के अनुसार, संस्थान के खातों की लेखा परीक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत योग्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उप-धारा (1) के तहत, जिन्हें संस्थान द्वारा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों के पैनल में से हितधारकों की आम बैठक में ऐसी अवधि के लिए और ऐसे पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाएगा जो रिज़र्व बैंक तय कर सकता है।

18 जून, 2024 को शेयरधारक ने संस्थान के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 101961डब्ल्यू/डब्ल्यू 100036) की नियुक्ति को तीसरे वार्षिक आम बैठक के समापन से लेकर छठे वार्षिक आम बैठक के समापन तक लेखा परीक्षक पारिश्रमिक, अन्य रिपोर्टों/प्रमाण-पत्रों के लिए शुल्क, जेब खर्च और लागू करों के रूप में मंजूरी दी थी (जैसा कि संस्थान के निदेशक मंडल या लेखा परीक्षक समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है) इसके अलावा, यदि अगले दो वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की सूची में वैधानिक लेखा परीक्षक का नाम नहीं है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भेजा जा सकता है या सांविधिक लेखा परीक्षक के खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट है, तो संस्थान के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में किसी अन्य फर्म की नियुक्ति के लिए शेयरधारक से नए अनुमोदन की मांग कर सकती है। उक्त वैधानिक लेखा परीक्षक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए योग्य ऑडिट फर्मों के सी एंड एजी पैनल की सूची में था। इसके अलावा, 20 जनवरी, 2026 को आयोजित इसकी असाधारण आम बैठक में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी की पुनर्नियुक्ति को शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी थी।

चूंकि आरबीआई द्वारा प्रासंगिक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए योग्य ऑडिट फर्मों की सी एंड एजी पैनल अभी जारी नहीं की गई है, जो 09 जून, 2026 को आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठक में और 09 जून, 2026 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर है, शेयरधारक से अनुरोध है कि वह आरबीआई के निर्देशों के अनुसार वैधानिक लेखा परीक्षकों (एसए) के रूप में नियुक्ति से संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी की निरंतरता को मंजूरी दे, जब तक कि वैधानिक लेखा परीक्षकों (एसए) के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य ऑडिट फर्मों की सी एंड एजी पैनल आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जारी नहीं की जाती है, जो निदेशक मंडल या संस्थान की लेखा समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले जेब खर्चों, परिव्यय और करों (लागू होने पर) के अतिरिक्त पारिश्रमिक पर होती है। इस संबंध में आगे की मंजूरी शेयरधारक से मांगी जाएगी, आरबीआई से अपेक्षित पैनल प्राप्त होने के बाद।

मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

फर्म की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी और यह पूरे भारत में शाखाओं के साथ मुंबई में स्थित है। फर्म में लगभग 37 भागीदार और 750 + सीए और अन्य तकनीकी कर्मचारी हैं, जिनके पास बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में व्यापक अनुभव के साथ पेशे में हैं। फर्म के भागीदारों ने सेबी, आईसीएआई, लेखा मानक बोर्ड, आईआरडीए, आईआईए और आयकर अधिकारियों सहित नियामकों के साथ मिलकर काम किया है; और बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी, इंडियन मर्चेन्ट्स चैंबर्स और चैंबर ऑफ इनकम टैक्स कंसल्टेंट्स जैसे पेशेवर संघों में नेतृत्व के पदों पर काम किया है।

यह फर्म मुख्य रूप से बैंकिंग और गैर-बैंकिंग, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के साथ उद्योग भर में वैधानिक लेखा परीक्षक रही है।

वैधानिक लेखा परीक्षकों के अलावा, फर्म ने लेनदेन सलाहकार, आंतरिक पुनर्गठन, विलय/डिमर्जर, स्लम बिक्री, बाय-बैक और पूंजी में कमी की सलाह और कार्यान्वयन, कॉर्पोरेट और संबद्ध कानूनों में सलाहकार, एसईबीआई, एनबीएफसी विनियमों, साझेदारी/एलएलपी, बीमा कानून - सलाहकार, अनुपालन और प्रतिनिधित्व, कॉर्पोरेट वित्त-परियोजना मूल्यांकन, वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन वित्तीय मूल्यांकन और उचित परिश्रम भी किया है।

फर्म अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकिंग संस्थानों के बीच, आरबीआई सहित कई बैंकिंग संस्थानों के साथ वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में जुड़ी हुई है।

बोर्ड साथ में संलग्न नोटिस के मद संख्या 2 पर प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है।

संस्थान के निदेशकों/केएमपी में से कोई भी, उनके रिश्तेदारों सहित, किसी भी तरह से, आइटम नंबर 2 पर संकल्प में चिंतित या रुचि रखते हैं।

मद सं. 3 के लिए

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम") के विनियम 24ए के साथ पठित विनियम 62एम के संदर्भ में, 22 जनवरी, 2026 से प्रभावी, निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, एक सूचीबद्ध इकाई को अपनी वार्षिक आम बैठक में अपने शेयरधारकों की मंजूरी से सचिव लेखा परीक्षक नियुक्त या पुनर्नियुक्त करना होगा।

तदनुसार, 09 जून, 2026 को आयोजित बैठकों में लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की सिफारिश पर, मौजूदा सचिव लेखा परीक्षक अर्थात् मेसर्स एल्विन जय एंड कंपनी, कंपनी सचिव (फर्म पंजीकरण संख्या: पी2010एमएच021500) को संस्थान के सचिव लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है, जो वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए है। मेसर्स अल्विन जय एंड कंपनी उक्त अवधि के लिए नियुक्ति के लिए पात्र है और उन्होंने इस तरह नियुक्त होने से कोई अयोग्यता नहीं बरती है।

मेसर्स एल्विन जे एंड कंपनी एक सहकर्मी समीक्षा फर्म है जिसके पास 15 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है। वे मुंबई से बाहर स्थित हैं, और यह नोट किया गया है कि वे उद्योग में प्रतिष्ठित संगठनों के साथ सचिव लेखा परीक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं। उन्होंने उपरोक्त नियुक्ति के लिए अपनी सहमति और पात्रता भी प्रदान की है।

उपर्युक्त असाइनमेंट के लिए मेसर्स एल्विन जे एंड कंपनी की पेशेवर शुल्क वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,50,000 रुपये होगी, और उसके बाद वित्त वर्ष 2030-31 तक शेष वर्षों के लिए 10% की वार्षिक वृद्धि, साथ ही लागू जीएसटी और जेब खर्चों की प्रतिपूर्ति होगी।

संस्थान के निदेशकों/केएमपी में से कोई भी, उनके रिश्तेदारों सहित, किसी भी तरह से, आइटम नंबर 3 पर संकल्प में शामिल या रुचि रखते हैं।

मद सं. 4 के लिए

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्थान) ने स्टॉक एक्सचेंजों (अर्थात् एनएसई और बीएसई) पर अपनी ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया है और तदनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम) के प्रावधान उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई (एचवीडीएलई) से संबंधित संस्थान पर लागू होते हैं।

अधिसूचना ईएफ के अनुसार No. 6/2 (x)/2022-बीओ.आई 13 मई, 2026 दिनांकित वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने सुश्री शालिनी पंडित (डीआईएन 07780142), संयुक्त सचिव, डीएफएस को, सुश्री मनसा गंगोत्री काटा (डीआईएन: 11020392) के स्थान पर, तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, संस्थान के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है।

विनियम 62डी(3) के संदर्भ में, सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थान के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में सुश्री शालिनी पंडित की नियुक्ति के लिए शेयरधारक की मंजूरी की आवश्यकता है।

सुश्री शालिनी पंडित को अधिनियम की धारा 10 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है। इसके अलावा, सुश्री शालिनी पंडित को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/एमसीए या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त होने से वंचित नहीं किया गया है।

शालिनी पंडित के अपेक्षित विवरण नीचे दिए गए हैं:

निदेशक का नाम	सुश्री शालिनी पंडित
डीआईएन	07780142
जन्मतिथि	11 सितंबर, 1974

उम्र	51
नामांकन की प्रभावी तारीख	13 मई, 2026
अर्हता	<ul style="list-style-type: none"> स्नातक (वनस्पति विज्ञान), दिल्ली विश्वविद्यालय भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से वन्यजीव विज्ञान में एम.एससी.
अनुभव (विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित)/संक्षिप्त जीवन वृत्त	<p>सुश्री शालिनी पंडित ओडिशा कैडर के 2001 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा प्र से) अधिकारी हैं जो वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।</p> <p>सुश्री भारत सरकार में अपने कार्यभार में जाने से पहले पंडित ने ओडिशा सरकार में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उन्होंने स्कूल और जन शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मिशन शक्ति विभाग और ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग, ओडिशा के सचिव के रूप में कार्य किया है।</p> <p>उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक, ओडिया की श्रम आयुक्त और कई जिलों की जिला कलेक्टर के रूप में भी कार्य किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने और स्वास्थ्य क्षेत्र में नेतृत्व के लिए उनके काम की व्यापक रूप से सराहना की गई थी।</p> <p>सुश्री शालिनी पंडित ने मिरांडा हाउस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और एम.एससी. की। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से वन्यजीव विज्ञान में।</p>
31 मई, 2026 को अन्य निदेशक मंडल	<ol style="list-style-type: none"> केनरा बैंक राउरकेला स्मार्ट सिटी लिमिटेड।
31 मई, 2026 को समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	<ol style="list-style-type: none"> सदस्य - लेखा परीक्षा समिति - केनरा बैंक
संस्थान के अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध	कोई नहीं

वित्तीय वर्ष (2025-26) के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या	लागू नहीं
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या ईएफ के आदेश के अनुसार नामांकन सं. 6/2(x)/ 2022-बीओ.आई दिनांक 13 मई, 2026

निदेशक मंडल नोटिस के मद संख्या 4 पर रखे गए संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

संस्थान के निदेशकों/केएमपी में से कोई भी, उनके रिश्तेदारों सहित, सुश्री शालिनी पंडित को छोड़कर, उनके नामांकन के संबंध में, किसी भी तरह से, मद संख्या 4 पर संकल्प से संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

**राजकिरण राय जी.
प्रबंध निदेशक
डी आई एन: 07427647**

दिनांक: 09 जून, 2026

स्थान: मुंबई

कार्यालय का पता:

द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल - 1503

जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

दूरभाष: +91-22-4104 2000